# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः— 381/2019/223 (2019/00381)**

1. बन्ना पुत्र श्योराम जाति जाट, निवासी मालेड़ा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. कालू,
3. रामेश्वर,
   पुत्रगण श्योनारायण, जाति जाट, निवासी मालेड़ा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. लक्ष्मण पुत्र श्योराम जाति जाट, निवासी मालेड़ा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

**रेस्पोडेंट**

2. नारायण पुत्र श्योराम, जाति जाट, निवासी मालेड़ा, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
3. रामस्वरूप पुत्र श्योनारायण, जाति जाट, निवासी मालेड़ा, तहसील दूदू, जिला जयुपर ।
4. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

**प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 16.9.2019 अंतर्गत वाद संख्या 81/2019.**

**उपस्थितः—**

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

## निर्णय

**दिनांकः— 24.02.2021**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.9.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद विरूद्ध अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के बाबत् बंटवारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान ने आरायिजात का बंटवारा कर रखा है तथा वादी नजरी नक्शे में पीले रंग, प्रतिवादी संख्या 1 लाल रंग, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 हरे रंग तथा प्रतिवादी संख्या 5 बैंगनी रंग पर काबिज काश्त है । इस पर अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर तलबी जाकर की तथा

दिनांक 2.9.2019 को अपीलांट व शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 9.9.2019 को साक्ष्य ली जाकर दिनांक 16.9. 2019 को बहस सुनकर उसी दिन प्रश्नगत निर्णय पारित कर वादी का वाद डिक्री करने की डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 को निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 का आदेश नॉन–स्पीकिंग आदेश है तथा बिना अपीलांटस को सुने पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने बिना तथ्यों पर गौर किये मात्र 18 दिवस में निर्णय व डिक्री पारित की है तथा प्रथम तारीख पेशी पर भेजी गई तामील जब चस्पानगी से तामील होकर आई जिसे अधी0न्याया0 द्वारा बिना तामील कुनिन्दा को परिक्षित किये तथा बिना न्यायालय के आदेश के की गई चस्पानगी को उचित मानकर निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा वादी द्वारा पेश की गई साक्ष्य पर भी गौर नहीं किया गया जिसमें बतौर साक्ष्य बयान छपे हुए है तथा गवाहों का नाम पेन से भर दिये गये है । इस प्रकार की साक्ष्य पर न्यायालय को अपना निर्णय आधारित नहीं करना चाहिये था क्योंकि न्यायालय में दिये गये बयान व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर देता है। इसलिये ऐसी साक्ष्य पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था । वादी ने वादपत्र में लिखा था कि नजरी नक्शा संलग्न है जबकि वादपवत्र के साथ कोई नजरी नक्शा संलग्न नहीं किया गया है तथा एक पटवारी द्वारा दिये गये नक्शे की फोटो प्रति पेश की गई है जिस पर वादी के कोई हस्ताक्षर नहीं है । ऐसी फोटो प्रति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा साक्ष्य में बतौर प्रदर्श–2, गवाह पी0डब्ल्यू0 1 द्वारा इसका अभिलेख किया है परन्तु उक्त नक्शा प्रदर्शित नहीं हुआ है क्योंकि अपीलांटस द्वारा जो नक्शे की सत्य प्रतिलिपि पेश की गई है, में कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा न तो वादी का वाद डिक्री किया गया है एव न ही खारिज किया गया है । अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 2.9.2019 में प्रतिवादी संख्या 6 की तामील व जवाब का कोई उल्लेख नही है इसके बावजूद पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई । पी0डब्ल्यू0 1, 2, 3 की जिरह हुई या नहीं हुई इसका भी कोई उल्लेख नहीं है, क्या प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जिरह की गई अथवा नहीं इस संबंध में कोई उल्लेख पत्रावली पर नहीं है । प्रतिवादी संख्या 6 जो एक आवश्यक पक्षकार है, को न तो विधिक सूचना वाद प्रस्तुति से पूर्व दी गई, न ही वाद प्रस्तुति की अनुमति ली गई है । ऐसे वाद को न्यायालय को तुरन्त खारिज कर देना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद प्राथमिक डिक्री किया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 26.8.2019 को वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 2.9.2019 नियत की गई । आदेशिका दिनांक

2.9.2019 के अनुसार '' प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उपस्थित नहीं । इनकी तामील प्राप्त हुई । तामीलों का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की तामील चस्पानगी से होकर प्राप्त हुई जो तामील मानी जाती है । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को बार–बार आवाजे दिलवाई गई, कोई उपस्थित नहीं । अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है । '' अधी0न्याया0 की आदेशिका के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अधी0न्याया0 द्वारा जारी नोटिस प्रतिवादीगण द्वारा नहीं लिये जाने पर न्यायालय द्वारा कब चस्पानगी के आदेश जारी किये गये । तामील कुनिन्दा द्वारा बिना न्यायालय के आदेशों के प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नोटिस चस्पानगी से तामील कराये गये है जिसे विधिसम्मत् तामील नहीं मानी जा सकती है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को विधिवत् तामील कराये बिना एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा बंटवारे का वाद पेश किया है जिसमें सभी सहखातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में बंटवारे की डिक्री पारित करनी चाहिये थी किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध समुचित तामील के प्रयास किये बिना एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बंटवारे के वाद में समस्त सहखातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय व डिक्री पारित करनी चाहिये । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.9.2019 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16. 9.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित आराजियात के समक्ष सहखातेदारों को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

7. निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**